



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (शा०)  
(सं० पटना 832) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं  
7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 265, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं :—

#### संशोधन

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के अधीन विहित प्रपत्र प्र०क०—I में संशोधन I—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के अधीन विहित प्रपत्र प्र०क०—I की क्रम सं० 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं० 1क, 1ख, एवं 1ग जोड़ी जायेंगी, यथा—

- “1क. पैन
- 1ख. मोबाइल संख्या
- 1ग. ई—मेल आईडी०”

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3848]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 266, एस० ओ० 265, दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-3849]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

*The 7<sup>th</sup> October 2016*

S.O. 265 dated the 7<sup>th</sup> October 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16, 1993) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 with immediate effect :—

**Amendment**

**Amendment in Form ET-I prescribed under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 :-** After Sl. No. 1 in Form ET-I prescribed under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 the following Sl. No. 1A, 1B and 1C shall be added, namely:-

- “1A. PAN
- 1B. Mobile No.
- 1C. E-mail I.D.”

[F.No. Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016-3848]

By order of the Governer of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,  
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 832-571+100-३०८०८०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>